रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

No. 160]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2002/चैत्र 14, 1924

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2002/CHAITRA 14, 1924

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2002

सा. का. नि. 251 (अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा 1 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 671 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 17 सितम्बर, 2001 में ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

और भारत के उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 18 सितम्बर, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3)	(4)
''दुग्ध उत्पाद (जिनमें दो प्रतिशत से कम वसा है)	0.20 (सम्पूर्ण आधार पर)''

[सं. पी 15014/5/2001-पी एच (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, में का.नि.आ. 2105, तारीख 12-9-1955 के तहत प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 908(अ), तारीख 20-12-2001 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2002

G.S.R. 251(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) in the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), number, G.S.R. 671 (E), dated the 17th September, 2001 in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 17th September, 2001 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on the 18th September, 2001;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (1st Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 in rule 65, in the Table in item 15, in clause (c), after the words "Milk products" occurring in column 3 and the entry relating thereto, in column 4, the following shall be inserted, namely :—

TABLE

Food
(3)
"Milk products (having less than 2 per cent fat)